पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जनवरी, 2006 ई0 (माघ 01, 1927 शक सम्वत्) [संख्या–03

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य – – ...	–	रु0 3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस –	29–32	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	5–11	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण – ...	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल – ...	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल – –	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट – – ...	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां – ...	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि –	3–4	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 2568/XX(3)–55/सीबीआई/2003–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से श्री एन०एस० धानिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/चतुर्थ, फास्ट ट्रेक कोर्ट, देहरादून को उनके दायित्वों के अतिरिक्त उत्तरांचल राज्य के समस्त जनपदों, अर्थात् देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के क्षेत्राधिकार के अधीन ऐसे मामलों में जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या XXV, सन् 1946) के अधीन जांच के पश्चात् आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जाए अथवा लम्बित हो, ऐसे वादों की सुनवाई एवं विचारण हेतु समस्त शक्तियां श्री एन०एस० धानिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/चतुर्थ, फास्ट ट्रेक कोर्ट, देहरादून को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में सहर्ष स्वीकृत कर प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

एस० के० दास,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2568/XX(3)-55/CBI/2003, dated December 22, 2005 for general information :

NOTIFICATION

December 22, 2005

No. 2568/XX(3)-55/CBI/2003--In exercise of the powers under section 3(1) read with section 4(2) of Prevention of Corruption Act, 1988, the Hon'ble Governor, in consultation with the Hon'ble High Court of Uttaranchal at Nainital is pleased to confer on Sri N.S. Dhanik, Addl. District & Sessions Judge, IVth, Fast Track Court, Dehradun, all powers in addition to his regular charge to hear and try such cases, in which charge sheet is filed after investigation by the Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act no. XXV of 1946) or cases which are pending, in the jurisdiction of all the District of Uttaranchal, namely Dehradun, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Uttarkashi, Chamoli, Hardwar, Nainital, Udhamsingh Nagar, Champawat, Bageshwar, Almora & Pithoragarh.

By Order,

S. K. DAS,
Principal Secretary, Home.

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

22 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 4619/II–2005–01(430)/2003–सिंचाई विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री धीर सिंह को उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से वेतनमान रुपये 12,000–375–16,500 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर अनन्तिम पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनन्तिम रूप से पदोन्नत श्री धीर सिंह की अन्य अधीक्षण अभियन्ताओं से पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में अनन्तिम आवंटन के उपरान्त निर्धारित की जायेगी तथा उनकी अनन्तिम पदोन्नति उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 1478/XXX(2)/2004, दिनांक 15-09-2004 तथा शासनादेश संख्या 1176/XXX(2)/2004, दिनांक 10-05-2005 में यथा उल्लिखित प्रतिबन्धों के साथ-साथ सम्बन्धित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों के प्रतिबन्धाधीन रहेंगी।

अनन्तिम रूप से पदोन्नत श्री धीर सिंह के द्वारा अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही योगदान किया जायेगा तथा उनकी पदस्थापना के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

24 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 4639/II-2005-01(430)/2005-सिंचाई विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत उत्तरांचल संवर्ग से भिन्न संवर्ग के अन्तर्गत अनारक्षित श्रेणी के श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, अधिशासी अभियन्ता को वेतनमान रु0 12,000-375-16,500 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर अनन्तिम रूप से उनके कनिष्ठ की पदोन्नति के दिनांक से नोशनल पदोन्नति देते हुए पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एन0 रवि शंकर,
सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 1505/XXVII(8)/वैट/2005-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904), (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी जो किसी माल का विक्रय किसी व्यक्ति या अन्य व्यौहारी को करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक माल के विक्रय जिस पर कर प्रभारित किया जाता है, और करमुक्त माल के मामले में प्रत्येक विक्रय जिसकी कीमत किसी एक संव्यवहार में रुपये पचास से अधिक हो, के सम्बन्ध में एक बिक्री-बीजक जारी करेगा बशर्ते कि यदि क्रेता ऐसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में बिक्री-बीजक की मांग करता है तो व्यौहारी, विक्रय की धनराशि को दृष्टि में लिये बिना, क्रेता को बिक्री-बीजक जारी करेगा।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1505/XXVII(8)/VAT/2005, dated December 26, 2005 for general information :

NOTIFICATION

December 26, 2005

No. 1505/XXVII(8)/VAT/2005—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 60 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to order that with effect from the date of publication of this notification every registered dealer making a sale to a person or any other dealer, shall issue to the purchaser, in respect of every sale of goods on which tax has been charged, and in case of goods exempt from tax, in respect of every sale exceeding Rupees Fifty in any one

transaction, a Sale-Invoice subject to the condition that if the purchaser demands a Sale-Invoice in respect of any such sale, the dealer shall issue the purchaser a Sale-Invoice, irrespective of the amount of sale.

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 1506/XXVII(8)/वैट/2005—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904), (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कोई व्यक्ति 2005 के उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर देय माल, जिसका मूल्य गिट्टी, मोरंग, बालू और रोड़ी के सम्बन्ध में एक हजार रुपये से अधिक हो और अन्य माल के सम्बन्ध में पाँच हजार रुपये से अधिक हो, सिवाय उक्त धारा 48 तथा सुसंगत नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात्, राज्य के बाहर के किसी स्थान से व्यापार के सम्बन्ध में राज्य के भीतर न तो लायेगा, न आयात करेगा और न अन्यथा प्राप्त करेगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1506/XXVII(8)/VAT/2005, dated December 26, 2005 for general information :

NOTIFICATION

December 26, 2005

No. 1506/XXVII(8)/VAT/2005--In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 48 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to order that with effect from the date of publication of this notification no. person shall bring, import or otherwise receive into the State from any place outside the State any goods taxable under the said Act of 2005, of any value exceeding in case of Gitti, Morang, Balu and Rori Rs. One Thousand and in case of any other goods Rs. Five Thousand, without complying with the provisions of section 48 of the said Act and the relevant Rules.

By Order,

RADHA RATURI
Secretary, Finance.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 हिन्दी गजट/11—भाग 1—2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जनवरी, 2006 ई0 (माघ 01, 1927 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

NOTIFICATION

November 25, 2005

No. 140/UHC/Admn. A/2005–Sri V.B. Rai, District & Sessions Judge, Almora is hereby appointed Officiating District & Sessions Judge, Pithoragarh during the period of earned leave of Sri Ram Singh, District & Sessions Judge, Pithoragarh from 27.11.2005 to 11.12.2005, in addition to his own duties.

By Order of the Court,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

26 नवम्बर, 2005 ई0

संख्या 141/XIV/73/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री कंवर अमनिन्दर सिंह, सिविल जज (अवर खण्ड), लैन्सडाउन, जिला पौड़ी गढ़वाल को दिनांक 12.09.2005 से 30.09.2005 तक 19 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

26 नवम्बर, 2005 ई0

संख्या 143/XIV/42/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री कान्ता प्रसाद, अपर जिला जज/प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट, रुड़की, जिला हरिद्वार को दिनांक 24–10–2005 से 27–10–2005 तक 04 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 23.10.2005 के रविवार अवकाश को सम्मिलित करते हुए, स्वीकृत किया गया।

03 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 144/XIV/08/प्रशा० अनु०–अ/2003–श्री वी०बी० राय, जिला जज, अल्मोड़ा को दिनांक 14.11.2005 से 26.11.2005 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 12.11.2005 व 13.11.2005 क्रमशः द्वितीय शनिवार अवकाश व रविवार अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 27.11.2005 के रविवार अवकाश को सम्मिलित करते हुये स्वीकृत किया गया।

05 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 145/XIV/44/प्रशा० अनु०–अ/2003–श्री गिरधर सिंह धर्मशक्तु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा को निम्न अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया :–

1. दिनांक 11.07.2005 से 29.07.2005 तक 19 दिनों का, दिनांक 09.07.2005 एवं 10.07.2005 क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स करने की अनुमति सहित।
2. दिनांक 16.08.2005 से 27.08.2005 तक 12 दिनों का, दिनांक 13.08.2005, 14.08.2005 एवं 15.08.2005 क्रमशः द्वितीय शनिवार, रविवार एवं स्वतंत्रता दिवस के अवकाश को प्रिफिक्स व 28.08.2005 के रविवार अवकाश को सफिक्स करने की अनुमति सहित।
3. दिनांक 19.09.2005 से 01.10.2005 तक 13 दिनों का, दिनांक 18.09.2005 रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स एवं 02.10.2005 के सार्वजनिक अवकाश को सफिक्स करने की अनुमति सहित।

05 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 146/XIV/34/प्रशा० अनु०–अ/2003–श्री कँवर सैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, अल्मोड़ा को निम्न अवधियों का अवकाश स्वीकृत किया गया :–

1. दिनांक 07.03.2005 से 14.03.2005 तक 08 दिनों का अर्जित अवकाश।
2. दिनांक 27.06.2005 से 30.06.2005 तक 04 दिनों का अर्जित अवकाश।
3. दिनांक 07.07.2005 से 05.08.2005 तक 30 दिनों का चिकित्सा अवकाश।
4. दिनांक 10.08.2005 से 28.08.2005 तक 19 दिनों का चिकित्सा अवकाश।
5. दिनांक 31.08.2005 से 09.09.2005 तक 10 दिनों का अर्जित अवकाश, दिनांक 10.09.2005 एवं 11.09.2005 क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश को सफिक्स करने की अनुमति सहित।

न्यायालय की आज्ञा से
मीना तिवारी,
अपर निबन्धक।

HIGH COURT OF UTTARANCHAL
AT NAINITAL

NOTIFICATION

December 06, 2005

No. 147/UHC/Admin. A/2005–Sri R.D. Pandey, Officiating District & Sessions Judge, Chamoli to be District & Sessions Judge, Chamoli in the same pay scale, w.e.f. 01.12.2005.

December 06, 2005

No. 148/UHC/Admin. A/2005–Sri K.D. Bhatt, Officiating District & Sessions Judge, Uttarkashi to be District & Sessions Judge, Uttarkashi in the same pay scale, w.e.f. 01.012.2005.

December 06, 2005

No. 149/UHC/Admin. A/2005–Sri Ram Singh, Officiating District & Sessions Judge, Pithoragarh to the District & Sessions Judge, Pithoragarh in the same pay scale, w.e.f. 01.12.2005.

December 06, 2005

No. 150/UHC/Admin. A/2005–Sri R.D. Paliwal is transferred and posted as Addl. District & Sessions Judge/II, F.T.C., Hardwar after his withdrawal to regular side from the post of Addl. Secretary Law-cum-Addl. L.R., Government of Uttaranchal, Dehradun.

December 06, 2005

No. 151/UHC/Admin. A/2005–Smt. Meena Tewari, Addl. Registrar, High Court of Uttaranchal, Nainital is transferred and posted as Addl. District & Sessions Judge/Vth F.T.C., Dehradun *vice* Sri Ravindra Maithani.

December 06, 2005

No. 152/UHC/Admin. A/2005–Sri Ravindra Maithani, Addl. District & Sessions Judge, Dehradun is transferred and posted as Addl. Registrar, High Court of Uttaranchal, Nainital *vice* Smt. Meena Tewari.

December 06, 2005

No. 153/UHC//Admin. A/2005–Sri Alok Kumar Verma, Addl. District & Sessions Judge/II, F.T.C., Hardwar is transferred and posted as Addl. Secretary Law-cum-Addl. L.R., Government of Uttaranchal, Dehradun.

December 07, 2005

No. 154/UHC/Admin. A/2005–Pursuant to the Government Notification no. 43-Ek(5)/XXXVI(1)/2005-184/2001-T.C.-IV, dated 07.12.2005, Sri Ram Rattan Aggarwal, District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as Member Secretary, State Legal Services Authority, Uttaranchal, Dehradun.

December 07, 2005

No. 155/UHC/Admin. A/2005–Sri Roop Deo Pandey, District & Sessions Judge, Chamoli is transferred and posted as District & Sessions Judge, Nainital, *vice* Sri Ram Rattan Aggarwal.

December 07, 2005

No. 156/UHC/Admin. A/2005–Sri Ramesh Chandra Kukreti, Addl. District & Sessions Judge/2nd, F.T.C., Dehradun is transferred and posted as District & Sessions Judge, Chamoli *vice* Sri Roop Deo Pandey.

December 07, 2005

No. 157/UHC/Admin. A/2005–Sri Virendra Bahadur Rai, District & Sessions Judge, Almora is transferred and posted as District & Sessions Judge, Dehradun.

December 07, 2005

No. 158/UHC/Admin. A/2005–Sri Rajendra Prasad Pandey, District & Sessions Judge, Bageshwar is transferred and posted as District & Sessions Judge, Hardwar, *vice* Sri Pramod Kumar Agarwal.

December 07, 2005

No. 159/UHC/Admin. A/2005–Sri Pramod Kumar Agarwal, District & Sessions Judge, Hardwar is transferred and posted as District & Sessions Judge, Almora *vice* Sri Virendra Bahadur Rai.

December 07, 2005

No. 160/UHC/Admin. A/2005–Sri Ashok Kumar Kacker is transferred and posted as District & Sessions Judge, Bageshwar *vice* Sri Rajendra Prasad Pandey after his withdrawal to regular side from the post of Secretary, Lokayukta, Uttaranchal, Dehradun and Member Secretary, State Legal Services Authority, Uttaranchal, Dehradun.

December 07, 2005

No. 161/UHC/Admin. A/2005–Sri Dinesh Prasad Gairola, Principal Judge, Family Court, Dehradun is transferred and posted as Secretary, Lokayukta, Uttaranchal, Dehradun *vice* Sri Ashok Kumar Kacker.

December 07, 2005

No. 162/UHC/Admin. A/2005–Smt Indira Ashish, District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is transferred and posted as Secretary Law-cum-L.R., Government of Uttaranchal, Dehradun *vice* Sri Umesh Chandra Dhyani.

December 07, 2005

No. 163/UHC/Admin. A/2005–Sri Servesh Kumar Gupta, District & Sessions Judge, Rudraprayag is transferred and posted as District & Sessions Judge, Pauri.

December 07, 2005

No. 164/UHC/Admin. A/2005–Sri Umesh Chandra Dhyani is transferred and posted as District & Sessions Judge, U.S. Nagar *vice* Smt. Indira Ashish after his withdrawal to regular side from the post of Secretary Law-cum-L.R., Government of Uttaranchal, Dehradun.

December 07, 2005

No. 165/UHC/Admin. A/2005–Sri Kawer Sain, Addl. District & Sessions Judge/F.T.C., Almora is transferred and posted as District & Sessions Judge, Rudraprayag *vice* Sri Servesh Kumar Gupta.

December 16, 2005

No. 169/UHC/Admin. A/2005–In exercise of the powers conferred under sub-section 6 of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court is pleased to specify that the Court of Additional Sessions Judge/F.T.C., Roshnabad, District Hardwar shall hold its sitting at Roorkee, District Hardwar w.e.f. 19.12.2005.

December 16, 2005

No. 170/UHC/Admin. A/2005–In exercise of the powers conferred under sub-section 6 of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court is pleased to specify that the Court of Additional Sessions Judge, Civil Court Complex Roshnabad, Hardwar shall hold its sitting at Roorkee, District Hardwar w.e.f. 19.12.2005.

By Order of the Court,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

December 21, 2005

No. 173/UHC/Admin. A/2005–Sri Ajay Semwal is appointed as Chief Public Relations Officer (Ex-Cadre) in the pay scale of Rs. 10,650-15,850 in the establishment of the High Court of Uttaranchal, Nainital against the vacant post (Ex-Cadre) created *vide* G.O. no. 98-Ek(2)/XXXVI(1)/2005-234/2001, dated 15-12-2005.

December 21, 2005

No. 174/UHC/Admin. A/2005–Sri Hussain Ahmed is appointed as Chief Protocol Officer (Ex-Cadre) in the pay scale of Rs. 10,650-15,850 in the establishment of the High Court of Uttaranchal, Nainital against the vacant post (Ex-Cadre) created *vide* G.O. no. 98-Ek (2)/XXXVI(1)/2005-234/2001, dated 15-12-2005.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

December 23, 2005

No. 177/UHC/Admin. A/2005–Pursuant to the Government Notification no. 2568/XX(3)-55/CBI/2003, dated 22-12-2005, Sri N.S. Dhanik, Addl. District & Sessions Judge/4th, Fast Track Court, Dehradun will also preside over the Court of Special Judge, Anti Corruption (C.B.I.), Uttaranchal u/s 3(1) and 4(2) of Prevention of Corruption Act, 1988, with immediate effect.

December 23, 2005

No. 178/UHC/Admin. A/2005--Pursuant to the Government Notification no. 440-Ek(1)/XXXVI(1)/05-9-Bha.Sa./01, dated 22-12-2005, Smt. Meena Tewari, Addl. District & Sessions Judge/Vth, Fast Track Court, Dehradun, is conferred powers u/s 36-A of N.D.P.S. Act, 1985, to preside over the Court of Special Judge, N.D.P.S., Dehradun, in addition to her own duties.

By Order of the Court,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

December 24, 2005

No. 179/Admin. A/2005--Sri N.B. Joshi, Private Secretary who was appointed as Private Secretary on the deputation basis for the period of three years *vide* Notification no. 94/Admin. A/2005, dated August 25, 2005 in the High Court of Uttaranchal, Nainital, stands relived today i.e. December 24, 2005 (A.N.) on his request for repatriation to his parent department with the direction to report to the Registrar, Himachal Pradesh Administrative Tribunal Shimla.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

December 23/24, 2005

No. 180/UHC/Admin. A/2005--In exercise of the powers conferred under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 (Act 22/2005), the High Court of Uttaranchal do hereby designate the Civil Judge (Jr. Div.) as the Appellate Authority in each District.

December 23/24, 2005

No. 181/UHC/Admin. A/2005--In exercise of the powers conferred under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 (Act 22/2005), the High Court of Uttaranchal do hereby designate the Addl. Registrar, High Court of Uttaranchal as the Appellate Authority for the High Court.

December 23/24, 2005

No. 182/UHC/Admin. A/2005--In exercise of the powers conferred under section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 (Act 22/2005), the High Court of Uttaranchal hereby designate the Munsarim as State Assistant Public Information Officer at outlying courts in each District.

December 23, 2005

No. 183/UHC/Admin. A/2005--In exercise of the powers conferred under section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 (Act 22/2005), the High Court of Uttaranchal do hereby designate the Chief Public Relations Officer, High Court of Uttaranchal as the State Public Information Officer for the High Court of Uttaranchal, and the Senior Administrative Officer/Sadar Munsarim as the case may be as State Public Information Officer for the District Courts of Uttaranchal.

January 04, 2006

No. 187/Admin. A/2003--Pursuant to the Government Notification no. 2409/XX(3)-55/CBCID/2003, dated 02.12.2005, in exercise of the powers vested under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act. no. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint Sri Sayan Singh, Judicial Magistrate, Ist Class (C.B.I.), Dehradun to exercise jurisdiction over the cases pending in the Courts of Special Court of Judicial Magistrate First Class, Dehradun and also to try or enquire into and to commit to the Court of Session all such cases arising within the local area of jurisdiction of districts of Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Dehradun, Hardwar, Nainital, Pauri Garhwal, Pithoragarh, Rudraprayag, Tehri Garhwal, Udham Singh Nagar and Uttarkashi in which investigation are made or Charge-Sheet filed by the Special Police Establishment constituted under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act no. XXV of 1946).

January 05, 2006

No. 188/UHC/Admin. A/2006–Pursuant to the Government Notification no. 123-Ek (2)/XXXVI(1)/Nya Anubhag/2005, dated 04.01.2006, Sri Birbhan Singh, Addl. District & Sessions Judge/VII, F.T.C., Dehradur conferred powers u/s 21 of the General Clauses Act, 1904, read with section 5(2) of U.P. Gangster & Anti-Soc Activities (Prevention) Act, 1986 and section 86 of the U.P. Re-organization Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) presice over the Special Court at Dehradun, in addition to his own duties.

By Order of the Court,

V. K. MAHESHWAR
Registrar General.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल
(फार्म अनुभाग)
विज्ञप्ति

12 दिसम्बर, 2005 ई०

पत्रांक 3274/फार्म अनु०–2004–2005/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावल 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम–85 के उपनियम (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त क उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जा के सम्बन्ध में नियम–85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करत हूं :–

क्र०स०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए आयात घोषणा–पत्रों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए आया घोषणा–पत्रों के क्रमांक
1.	सर्वश्री छजूराम अग्रवाल, कोटद्वार	01 आ०घो०प०	UT/C 110449

बी०पी० पाण्डे,
आयुक्त कर, उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल
(विधि अनुभाग)
विज्ञप्ति

28 अक्टूबर, 2005 ई०

पत्रांक 3469/आयु०क०उत्तरां०/वा०क०/विधि–अनुभाग/दे०दून/2005–2006–उत्तरांचल मूल्य वर्धित अधिनियम 2005 की धारा 80 की उपधारा 9 तथा नियम–30 के उपनियम–13 में निर्धारित व्यवस्था तथा शासन के पत्र संख्य 102/सचिव वित्त/Vol–I/2005–06, दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि आयात व लिये घोषणा–पत्र (ट्रेडर्स) की प्रचलित सीरीज यू०टी०/सी० 2004 के साथ–साथ प्रभावी दिनांक 16 नवम्बर, 2005 से सीरीज यू०एम०/डी० 2005 (क्रमांक 000001 से 030000), दिनांक 31–03–2006 तक प्रचलित रहेगी। इन दोनों सीरीजों के फार्म दिनांक 31–03–06 के मध्य रात्रि तक सहायता केन्द्रों पर स्वीकार किये जाते रहेंगे।

विज्ञप्ति

28 दिसम्बर, 2005 ई०

पत्रांक 3470/आयु०क०उत्तरां०/वा०क०/विधि–अनुभाग/दे०दून/2005–2006–उत्तरांचल मूल्य वर्धित अधिनियम, 2005 की धारा 80 की उपधारा 9 तथा नियम–30 के उपनियम–13 में निर्धारित व्यवस्था तथा शासन के पत्र संख्या 102/सचिव वित्त/Vol–I/2005–06, दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि आयात के

लिये घोषणा–पत्र (निर्माता) की प्रचलित सीरीज यू०एम०/सी० 2004 एवं सीरीज यू०एम०/डी० 2005 के साथ–साथ प्रभावी दिनांक 16 नवम्बर, 2005 से सीरीज यू०एम०/ई० 2005 (क्रमांक 000001 से 070000), दिनांक 31–03–2006 तक प्रचलित रहेंगी। उक्त सीरीज के फार्म दिनांक 31–03–06 की मध्य रात्रि तक सहायता केन्द्रों पर स्वीकार किये जाते रहेंगे।

सी०एस० सेमवाल,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल

(स्थापना अनुभाग)

आदेश

03 जनवरी, 2006 ई०

पत्रांक 3546/आयु०क०उत्तरां०/स्था०अनु०/वाणि०क०/05–06/दे०दून–उत्तरांचल राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2 (परिवीक्षाधीन) को जनहित में तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित कार्यालय में तैनात किया जाता है:

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	तैनाती के कार्यालय का नाम
1.	श्री जसवन्त सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, मुख्यालय, देहरादून	वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2 खण्ड–1, हरिद्वार
2.	श्री ज्ञानचन्द वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, मुख्यालय, देहरादून	वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2 सहायता केन्द्र, आशारोड़ी, देहरादून।

बी०पी० पाण्डे,
आयुक्त कर, उत्तरांचल, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 हिन्दी गजट/11–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0एच/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जनवरी, 2006 ई0 (माघ 01, 1927 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

01 दिसम्बर, 2005

संख्या 228/उ0विधि/05–06/05–संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं0 2, सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13–बी) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर ने प्रस्ताव संख्या 151, दिनांक 06–11–2004 द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण अभिलेखों पर कर लगाने सम्बन्धी उपविधियां बनायी हैं। जिसका प्रकाशन दैनिक उत्तर उजाला के अंक दिनांक 03–01–05 एवं दैनिक हाक के अंक दिनांक 02–01–2005 में जनसाधारण के अवलोकनार्थ एवं आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 301 (1) के अन्तर्गत कराया गया था। निर्धारित अवधि 30 दिन के भीतर कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था। नगर पालिका परिषद्, जसपुर ने विशेष प्रस्ताव सं0 165, दिनांक 05–03–2006 द्वारा उपविधियों की पुष्टि करते हुए स्वीकृति प्रदान की। अतः उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है:–

उपविधियां

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–(1) यह नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर उगाहने से सम्बन्धित उपविधियां कहलायेंगी।

(2) यह उत्तरांचल सरकार के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(3) यह नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2, सन् 1916 से है;

(ख) "नगर" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) से है;

(ग) "शुल्क" का तात्पर्य इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1869 (एक्ट संख्या 2, 1869) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेखों पर लगाये गये शुल्क से है;

(घ) "इंडियन स्टाम्प एक्ट" का तात्पर्य उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1869 (एक्ट संख्या 2, 1869) से है;

(ङ) अधिशासी अधिकारी "नगर पालिका परिषद्" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, जसपुर के अधिशासी अधिकारी से है;

(च) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13–ख) के अन्तर्गत लगाये गये कर से है।

3. नगर पालिका परिषद् के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर इंडियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरण सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा मोगबन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जायेगा।

4. कर उगाही की प्रक्रिया–उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गई समस्त धनराशि है। प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद्, जसपुर, (ऊधमसिंह नगर) को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी :–

(1) जब कभी नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेश निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाय तो निबन्धन/उपनिबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्–पृथक् दिये गये हैं :

(क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति; और

(ख) नगर के बाहर स्थिति सम्पत्ति और।

(2) यदि ऐसे ब्योरे दस्तावेज में पृथक्–पृथक् न दिये गये हों तो निबन्धक इसे कलैक्टर "अधिनियम" की धारा 128 की उपधारा (4) द्वारा नगर पालिका परिषदों पर यथा प्रवृत्त इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेंगे।

5. कर के लेखे रखना निबन्धन अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक्–पृथक् लेखे रखेंगे। जिसमें वह शुल्क और कर दिखायेंगे।

6. निबन्धन अधिकारी–जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या–1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

7. निबन्ध अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक्–पृथक् तिमाही विवरण–पत्र तैयार करेंगे जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूल की गयी धनराशि दिखायेंगे और उसे जिला निबन्धक की प्रयुक्त प्रत्येक के पांचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेंगे।

8. जिला निबन्धक, ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण–पत्रों की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजेंगे :–

(1) निबन्धक महानिरीक्षक, उत्तरांचल, देहरादून।

(2) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तरांचल, देहरादून।

(3) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जसपुर, ऊधमसिंह नगर।

(4) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

9. नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों की जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे। काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) को लौटा दी जायेगी, प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) प्रत्येक तिमाही में सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तरांचल को फाइनेन्शियल हैंड बुक, खंड 5 भाग के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेंगे। सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किए जाने पर स्थानीय कोषागार में प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) निबन्धकों का स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करे।

10. अभिलेखों का निरीक्षण–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किए बिना कर की उगाही और नगर पालिका परिषद्, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धक कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

मौ० उमर,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, जसपुर।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 हिन्दी गजट/11–भाग 8–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।